



रिक्ति अधिसूचना संदर्भ सं. सीएसएल/का.व प्रशा./भर्ती/ अनुबंध/ नर्स/ 2025/9

दिनांक 29 दिसंबर 2025

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), भारत सरकार की एक सूचीबद्ध प्रीमियर मिनीरल अनुसूची 'ए' कंपनी, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), कोच्चि में अनुबंध के आधार पर निम्नलिखित पदों को भरने के लिए भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करती है:-

I. पदों का नाम, शैक्षिक योग्यता और अनुभव:

तालिका 1

क्र.सं.	पदों का नाम	शैक्षिक योग्यता	अनुभव
1.	सीएसएल केलिए अनुबंध के आधार पर नर्स (पुरुष)	सामान्य नर्सिंग और प्रसूति विज्ञान में तीन वर्षीय डिप्लोमा	<ul style="list-style-type: none"> अस्पताल या नर्सिंग होम या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या कारखाने के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में नर्स के रूप में चार वर्ष का अनुभव।
2.	सीएसएल केलिए अनुबंध के आधार पर नर्स (महिला)		

II. महत्वपूर्ण तिथि:

ऑनलाइन आवेदन का प्रारंभ : 29 दिसंबर 2025

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि : 14 जनवरी 2026

III. रिक्तियों की संख्या व आरक्षण:

तालिका 2

क्र.सं.	पदों का नाम	अनारक्षित
1.	सीएसएल केलिए अनुबंध के आधार पर नर्स (पुरुष)	1
2.	सीएसएल केलिए अनुबंध के आधार पर नर्स (महिला)	1

क) अपनी आवश्यकता के अनुसार रिक्तियों की संख्या बढ़ाने/घटाने या रिक्ति को न भरने या भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार सीएसएल पर निर्भर है।

ख) बैंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों केलिए आरक्षण भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार होगा।

IV. अनुबंध की अवधि व तैनाती का स्थान:

क) उपरोक्त सभी पद प्रारंभ में **तीन वर्ष** की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर हैं, तथा संगठनात्मक आवश्यकताओं और वैयक्तिक प्रदर्शन के अधीन दो वर्षों की अवधि के लिए अनुबंध पर होंगे।



ख) तैनाती सीएसएल / सीएसएल के अन्य यूनिटों/सीएसएल द्वारा वांछितानुसार परियोजना स्थलों पर होगी। हालांकि, परियोजना आवश्यकताओं के आधार पर, उम्मीदवार को सीएसएल की विभिन्न यूनिटों में स्थानांतरित किया जा सकता है। पदों पर नियुक्ति के साथ सीएसएल के किसी भी विभाग या ऑनबोर्ड पोत पर या किसी अन्य यूनिट/ कार्य स्थल/ भारत या विदेश के किसी भी भाग में आरंभ की गई परियोजना, जैसे भी मामला हो, में सेवा करने का दायित्व है।

V. पारिश्रमिक:

क) सभी पदों हेतु पारिश्रमिक विवरण निम्नानुसार हैं :

तालिका 3

अनुबंध अवधि	समेकित वेतन (प्रति माह)	काम के अतिरिक्त घंटों के लिए मुआवजा (प्रति माह)
प्रथम वर्ष	₹ 23,300/-	₹ 5,830/-
द्वितीय वर्ष	₹ 24,000/-	₹ 6,000/-
तृतीय वर्ष	₹ 24,800/-	₹ 6,200/-

VI. आयः

क) पदों के लिए आयु सीमा दिनांक 14 जनवरी 2026 को 40 वर्ष से अधिक न हो, यानी आवदेकों का जन्म दिनांक 15 जनवरी 1986 को या उसके बाद होना चाहिए।

ख) बैंचमार्क दिव्यांगजन व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) और भूतपूर्व सैनिकों की आयु भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार होगी। फिर भी, किसी भी मामले में, आयु में सभी छूट लागू करने के बाद आयु सीमा 50 वर्ष से अधिक न हो।

VII. चयन की विधि:

क) पदों के लिए चयन की विधि वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा के माध्यम से होगी।

ख) वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा 35 मिनट की होगी जिसमें 30 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा और कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा। वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा का विवरण नीचे दिया गया है :-

- | | |
|-------------------|----------|
| (i) सामान्य | - 10 अंक |
| (ii) शाखा संबंधित | - 20 अंक |

ग) प्रायोगिक परीक्षा 70 अंकों की होगी।



- घ) वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा दोनों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक निम्नलिखित होंगे:-
- अनारक्षित पदों के लिए - प्रत्येक परीक्षा के कुल अंकों का 50%
 - पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए - प्रत्येक परीक्षा के कुल अंकों का 40%
- इ) यदि योग्य उम्मीदवारों की संख्या अपर्याप्त हो तो सीएसएल न्यूनतम उत्तीर्ण अंक में छूट दे सकता है।
- ज) प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की संख्या के आधार पर, सीएसएल पदों के लिए आवेदनों की जांच करने और ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में आवेदकों द्वारा अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों के माध्यम से निर्धारित पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने के आधार पर उम्मीदवारों की लघुसूची तैयार करने का अधिकार रखता है और केवल ऐसे लघुसूचीगत उम्मीदवारों को ही चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है।
- झ) चयन पात्रता संबंधी आवश्यकताओं (आयु, शैक्षिक योग्यता, आरक्षण और अनुभव आदि) के सत्यापन के अधीन होगा, जिसके लिए उम्मीदवार को आयु, शैक्षिक योग्यता, अनुभव और आरक्षण श्रेणियों के प्रमाण पत्रों के मूल प्रमाण पत्र और स्व-सत्यापित प्रतियां प्रमाण पत्र सत्यापन के समय प्रस्तुत करनी होंगी; अन्यथा उन्हें आगे के चयन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
- ज) जिन उम्मीदवारों के प्रमाणपत्रों का सत्यापन सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा, उन्हें ही वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी, जो सीएसएल, कोची में आयोजित की जाएगी।
- झ) प्रत्येक पद के लिए रैंक सूची उम्मीदवारों द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा दोनों में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों द्वारा समान अंक प्राप्त किए जाते हैं, तो, वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा के शाखा संबंधी भाग में प्राप्त अंक रैंक सूची के क्रम को निर्धारित करने का आधार होंगे। उसके बाद टाई होने की स्थिति में, आयु में वरिष्ठता के आधार पर सापेक्ष योग्यता का निर्धारण किया जाएगा।

VIII. शर्तें:

क) आरक्षण

- आरक्षण पर भारत सरकार के निवेश लागू होंगे।
- बैचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के मामले में, दिव्यांगजata की डिग्री न्यूनतम 40% होनी चाहिए। आवेदक को इसके लिए दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार नियम, 2017 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया एक वैध दिव्यांगता प्रमाणपत्र निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना चाहिए।



ख) योग्यता

- i) पदों के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता एआईसीटीई/ उपयुक्त वैधानिक प्राधिकरण/ राज्य/ केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान/ परीक्षा बोर्ड से होनी चाहिए।
- ii) किसी भी निर्धारित योग्यता के समतुल्य योग्यता रखने वाले आवेदकों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी समतुल्यता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए और इस तरह के प्रमाणपत्र के बिना, उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।
- iii) किसी आवेदकों को पदों के लिए प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में अर्हक परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों का सटीक प्रतिशत भरना आवश्यक है। कुछ विश्वविद्यालय/संस्थान/परीक्षा बोर्ड श्रेणी या अंकों का प्रतिशत नहीं देते हैं और कुल ग्रेड अंक (जैसे सीजीपीए/ओजीपीए/सीपीआई आदि) आबंटित नहीं करते हैं। यदि विश्वविद्यालय/ संस्थान/परीक्षा बोर्ड कुल ग्रेड पॉइंट को श्रेणी में और/या अंकों के प्रतिशत में बदलने हेतु मानदंड निर्धारित करता है, तो उसे स्वीकार किया जाएगा। उम्मीदवार विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रतिशत रूपांतरण प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत कर सकता है। फिर भी, जहां विश्वविद्यालय/ संस्थान/ परीक्षा बोर्ड कुल ग्रेड पॉइंट को श्रेणी में और /या अंकों के प्रतिशत में बदलने के मानदंड निर्धारित नहीं करती है, वहां आवश्यक प्रतिशत अंक प्राप्त करने के लिए कुल ग्रेड अंक को 10 से गुणा किया जा सकता है।

ग) अनुभव

- i) उपरोक्त के अनुसार निर्धारित योग्यता उत्तीर्ण करने की तिथि के बाद प्राप्त अनुभव पर ही विचार किया जाएगा। योग्यता के बाद के अनुभव की अवधि की गणना दिनांक 14 जनवरी 2026 से की जाएगी।
- ii) पारिश्रमिक सहित प्रशिक्षण को भी अनुभव माना जाएगा।
- iii) आवेदक जो हाल ही में किसी कंपनी (निजी/सार्वजनिक क्षेत्र/सरकारी) में कार्यरत हैं, वे अनुभव प्रमाणपत्र के अभाव में, कंपनी द्वारा जारी नियुक्ति आदेश या प्रस्ताव पत्र की प्रति, नवीनतम वेतन पर्ची या आखिरी वेतन की प्रति आदि अनुभव के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। पिछले रोज़गार के लिए कार्यभार ग्रहण करने के साथ-साथ कार्यमुक्ति की तिथि का उल्लेख करते हुए अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन में जमा किए गए अनुभव को स्थापित करने के लिए भी सभी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए, ऐसा न होने पर, उन्हें आगे की चयन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
- iv) आवेदक जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उन्हें **सशस्त्र बलों से सेवामुक्ति प्रमाणपत्र/बुक/ पेंशन भुगतान आदेश** प्रस्तुत करना चाहिए। जिन भूतपूर्व सैनिकों को उनके सेवामुक्ति प्रमाणपत्र / बुक में योग्यता का समर्थन किया गया है, उन्हें सशस्त्र बलों में संबंधित शाखा में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए।



सेवा अवधि के दौरान प्राप्त ऐसी योग्यता को भी योग्यता पश्चात् अनुभव की गणना में शामिल माना जाएगा। योग्यता की समकक्षता का दावा करनेवाले भूतपूर्व सैनिकों को प्राधिकरण के साथ उसी के निर्वहन प्रमाणपत्र में समकक्षता या समर्थन का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए (भारत सरकार द्वारा जारी आदेश का संदर्भ लें), अनुभव के प्रमाण के रूप में सशस्त्र बलों में संबंधित क्षेत्र में योग्यता और कार्य अनुभव का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए। उन्हें संबंधित अधिकारियों से अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए, ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।

- v) आवेदकों को स्पष्ट रूप से किए गए कार्य की प्रकृति और संबंधित कार्यों में संभाले गए कर्तव्यों, जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करना चाहिए, साथ ही इसके सबूत के तौर पर अनुभव प्रमाण पत्र अधिसूचित पदों के लिए अपना ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय अपलोड करना होगा।

घ) आवेदन शुल्क:

- i) ऑनलाइन भुगतान विकल्पों (डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/ इंटरनेट बैंकिंग आदि) का उपयोग करके ₹ 300/- (गैर-वापसी योग्य, साथ ही बैंक शुल्क अतिरिक्त) आवेदन शुल्क भेजा जाना चाहिए, जिसे दिनांक 29 दिसंबर 2025 से 14 जनवरी 2026 तक हमारी ऑनलाइन आवेदन सुविधा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। भुगतान का कोई अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- ii) अनुसूचित जाति (अ.जा.)/अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.)/ बैंचमार्क दिव्यांगजन व्यक्तियों से संबंधित उम्मीदवारों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। उन्हें आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।
- iii) जिन आवेदकों पर शुल्क लागू होता है, यानी ऊपर उल्लिखित अ.जा./ अ.ज.जा./ पीडब्ल्यूबीडी को छोड़कर, उन सभी को आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उनकी उम्मीदवारी पर आवेदन शुल्क प्राप्त होने पर ही विचार किया जाएगा।

ङ) आवेदन कैसे करें:

- (i) आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले www.cochinshipyard.in (कैरियर पृष्ठ→सीएसएल, कोच्ची) लिंक में प्रकाशित यूज़र मैनुअल और एफएक्यू को पढ़ना चाहिए। आवेदन दो चरण होते हैं – एक बार पंजीकरण और लागू पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करना। आवेदकों को एक ही पद पर एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। एक बार प्रस्तुत किया गया आवेदन अंतिम होगा।
- (ii) अधिसूचित आवश्यकताओं को पूरा करनेवाले आवेदक एसएफी ऑनलाइन पोर्टल में एक बार पंजीकरण कर सकते हैं और आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अपना आवेदन करने की सुविधा हमारी वेबसाइट www.cochinshipyard.in (कैरियर पृष्ठ → सीएसएल, कोच्ची) के माध्यम से



दिनांक 29 दिसंबर 2025 से 14 जनवरी 2026 तक प्राप्त की जा सकती है। सीधे या किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत किया गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

- (iii) आवेदक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आयु, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, जाति आदि के प्रमाण के रूप में सभी प्रमाणपत्र और एक हालिया पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटोग्राफ एसएपी ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर अपलोड किया गया है अन्यथा उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- (iv) आवेदकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियां सही ढंग से भरी गई हैं और आवेदन सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया गया है। ऑनलाइन के माध्यम से अंतिम रूप से प्रस्तुत करने के बाद, आवेदन में प्रदान किए गए विवरण में परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी क्षेत्र में कचरा विवरण भरने से आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है।
- (v) विज्ञापन अधिसूचना के अनुसार सभी मामलों में आवेदन प्रपत्र पूर्ण होना चाहिए। **कृपया ध्यान दें कि अधूरे आवेदन/ वापस लिए गए आवेदन/ मसौदा स्थिति वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।** आवेदन को सफलतापूर्वक जमा करने पर, आवेदन की स्थिति "प्रगति में" के रूप में (इनप्रोसस) दिखाई जाएगी। आवेदन की प्रस्तुति के बाद, "उम्मीदवार" मार्ई एप्लिकेशन्स" लॉग इन करें और प्रक्रिया की पूर्ति सुनिश्चित करें कि आवेदन की स्थिति "प्रगति में" है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रक्रिया पूरी हो गई है। **आवेदन सफलतापूर्वक जमा करने या आवेदन वापस लेने के बाद शुल्क की वापसी पर विचार नहीं किया जाएगा।**
- (vi) **ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करने के बाद, आवेदकों को उनके संदर्भ केलिए सिस्टम द्वारा उत्पन्न एकमात्र पंजीकरण संख्यावाले ऑनलाइन आवेदन की एक सॉफ्ट कॉपी/ मुद्रित प्रति को अपने पास रखना चाहिए।** ऑनलाइन आवेदन पर पंजीकरण संख्या सीएसएल के साथ किसी भी पत्राचार केलिए उद्धृत की जानी चाहिए।
- (vii) **आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित प्रति/ प्रमाणपत्र/डीडी/चालान/चेक के रूप में आवेदन शुल्क कोचीन शिप्यार्ड लिमिटेड को डाक द्वारा भेजने की आवश्यकता नहीं है।**
- (viii) **वेबसाइट दिनांक 29 दिसंबर 2025 से आवेदन प्रस्तुत करने के उद्देश्य से कार्यशील रहेगी और ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि **दिनांक 14 जनवरी 2026** है।** अंतिम तिथि पर वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक से बचने केलिए, जिसके परिणामस्वरूप आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सीएसएल वेबसाइट पर लॉग इन करें और अंतिम तिथि से पहले आवेदन प्रस्तुत करें। **आवेदन की अंतिम तिथि को आवेदन करनेवालों को अंतिम तिथि के 1600 बजे के बाद ई-मेल/फोन द्वारा ऑनलाइन आवेदन पोर्टल में कोई समस्या निवारण सहायता/तकनीकी सहायता नहीं मिल सकती है।**



च) सामान्य

- i) आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन जमा करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि वे पदों के लिए जारी रिक्ति अधिसूचना के अनुसार पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।
 - ii) भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा :- भूतपूर्व सैनिक एक व्यक्ति है।
 - (क) जिसने भारतीय संघ की नियमित सेना, नौसेना और वायु सेना में किसी भी रैंक में योद्धा या गैर-योद्धा के रूप में सेवा की है, और
 - i) जो या तो अपने अनुरोध पर या नियोक्ता द्वारा अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात सेवानिवृत्ति या कार्यमुक्त या ऐसी सेवा से मुक्त किया गया है; या
 - ii) जिसे सैन्य सेवा या उसके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर ऐसी सेवा से मुक्त किया गया हो और चिकित्सा या अन्य दिव्यांगजता पेंशन से सम्मानित किया गया हो; या
 - iii) स्थापना में कमी के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से जिसे मुक्त किया गया है;
 - ख) जो इस तरह की सेवा से अनुबंध की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के पश्चात, अपने स्वयं के अनुरोध के अलावा, या बर्खास्तगी, या कदाचार या अक्षमता के कारण निर्वहन के ज़रिए मुक्त किया गया हो, और एक उपदान दी गई है; और प्रादेशिक सेना के कार्मिक, अर्थात निरंतर सन्निहित सेवा या अर्हक सेवा के दूरी हुई अवधि के लिए पेंशन धारक इसमें शामिल हैं; या
 - ग) सेना डाक सेवा के कार्मिक जो नियमित सेना के हिस्सा हैं और सेना डाक सेवा से पेंशन के साथ अपनी मूल सेवा में प्रत्यावर्तन के बिना सेवानिवृत्त हुए हैं, या सेना डाक सेवा से चिकित्सा आधार पर जारी किए गए हैं या सैन्य सेवा या उनके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों से परे और चिकित्सा या अन्य दिव्यांगजता पेंशन से सम्मानित ; या
 - घ) कार्मिक, जो अप्रैल 14, 1987 से पहले छह महीने से अधिक समय तक सेना डाक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर थे; या
 - ङ) प्रादेशिक सेना के कर्मियों सहित सशस्त्र बलों के वीरता पुरस्कार विजेता ; या
 - च) चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किए गए या निकाले गए पूर्व-भर्ती और जिन्हें चिकित्सा दिव्यांगता पेंशन प्रदान किया जा रहा हो ।
- iii) सीएसएल को उम्मीदवारों से शैक्षिक योग्यता/अनुभव/अन्य अधिसूचित पात्रता आवश्यकताओं के समर्थन में किसी भी अतिरिक्त दस्तावेज़ी प्रमाण का मांग करने का अधिकार है, जैसा कि उनके ऑनलाइन आवेदन में दर्शाया गया है, और ऐसे प्रश्नों की सूचना/उत्तर केवल ई-मेल career@cochinshipyard.in के ज़रिए ही होना चाहिए। हालांकि, सीएसएल निर्धारित तिथि और समय के भीतर ऐसे ई-मेल की किसी भी विलंब/प्राप्ति के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा। निर्धारित तिथि और समय के बाद प्राप्त ऐसे किसी भी प्रश्न के उत्तर पर विचार नहीं किया जाएगा, और इस संबंध में आगे किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।



- iv) **लघुसूचीगत किए गए उम्मीदवारों के मूल प्रमाणपत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय या सीएसएल किसी अन्य चरण में फिर से सत्यापित किया जाएगा।** आयु, योग्यता, अनुभव, जाति, दिव्यांगजता, चिकित्सा स्वस्थता आदि के प्रमाण में मूल प्रमाणपत्रों का सत्यापन और अधिसूचित पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने पर उम्मीदवारी पूर्ण रूप से अस्थायी है। प्रमाणपत्र सत्यापन/शामिल होने के समय यदि उपरोक्त सूचीबद्ध उम्मीदवार पात्रता आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं या मूल रूप में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं या यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा दी गई कोई जानकारी ज्ञानी/गलत है या किसी भी उचित जानकारी को छिपाया जा रहा है, तो उम्मीदवार के चयन पर विचार नहीं किया जाएगा और बिना किसी सूचना के उम्मीदवारी रद्द/अस्वीकार कर दी जाएगी।
- v) **चयन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु उम्मीदवारों को कोई यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा।**
- vi) रिक्तियां पूर्ण रूप से एक निश्चित अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर हैं और सीएसएल, चयनित उम्मीदवारों की अनुबंध अवधि के दौरान या उसके बाद नियुक्ति की पेशकश करने हेतु उत्तरदायी नहीं है।
- vii) **अपात्रता के मामले में आवेदन की अस्वीकृति के संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।**
- viii) **लघुसूचीगत किए गए उम्मीदवारों को डाक द्वारा बुलावा पत्र नहीं भेजा जाएगा।** उन्हें बुलावा पत्र डाउनलोड करने के लिए ई मेल/ सीएसएल वेबसाइट www.cochinshipyard.in के माध्यम से सूचित किया जाएगा। **चयन प्रक्रिया की अनुसूची ईमेल/ सीएसएल वेबसाइट (कैरियर पृष्ठ→ सीएसएल, कोच्ची)** के माध्यम से लघुसूचीगत उम्मीदवारों को सूचित की जाएगी। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि चयन से संबंधित अद्यतन के लिए उपरोक्त वेबसाइट (कैरियर पृष्ठ→ सीएसएल, कोच्ची) को बार-बार देखें।
- ix) केवल आवेदन जमा करने, बुलावा पत्र जारी होने और चयन प्रक्रिया में भाग लेने से आवेदक को उम्मीदवारी की स्वीकृति का कोई अधिकार नहीं मिलेगा या पात्रता मानदंड को पूरा करने की पावती के रूप में नहीं माना जा सकता है या नियुक्ति का प्रस्ताव नहीं है और आवेदक को सीएसएल में रोज़गार के किसी भी दावे का हकदार नहीं होगा।
- x) **नियुक्ति के लिए लघुसूचीगत उम्मीदवारों को सीएसएल द्वारा निर्धारित अस्पतालों में चिकित्सा जांच किया जाना है।** सीएसएल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा ऐसी चिकित्सा जांच की रिपोर्ट की जांच की जाएगी और उम्मीदवार की नियुक्ति सीएसएल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा स्वस्थता के प्रमाणीकरण के अधीन होगी।



- xi) सीएसएल सरकारी/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पहले से कार्यरत किसी भी उम्मीदवार के पिछले रोजगार से संबंधित वेतन/ छुट्टी वेतन/ उपदान/ पेंशन योगदान आदि केलिए कोई दायित्व वहन नहीं करेगा।
- xii) सभी पदों के लिए रैंक सूची बनाए रखी जाएगी और रैंक सूची की वैधता अवधि अंतिम उम्मीदवार की रिपोर्टिंग की तारीख से 18 महीने तक होगी जो परिणाम के प्रकाशन पर शामिल होने के लिए सलाह दी गई उम्मीदवारों की सूची से, या उसी पद के लिए नई अधिसूचना जारी होने तक होगी। यदि रैंक सूची से शामिल होने के लिए सलाह दी गई उम्मीदवार के शामिल न होने या रैंक सूची से चयनित उम्मीदवार के बाद में अलग होने के कारण कोई रिक्ति होती है, तो रैंक सूची संचालित की जा सकती है। रैंक सूची को सक्षम प्राधिकारी से विशिष्ट अनुमोदन के साथ रैंक सूची की वैधता के दौरान उत्पन्न होने वाली भविष्य की रिक्तियों को भरने के लिए भी किया जा सकता है।
- xiii) इस अधिसूचना में दर्शाए गए पदों की संख्या वर्तमान आवश्यकता पर आधारित है और भविष्य की आवश्यकताओं के आधार पर अलग होगी और रैंक सूची की वैधता अवधि के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को सीएसएल के निर्णय पर उस रैंक सूची से भरा जाएगा।
- xiv) उपरोक्त या किन्हीं अन्य शर्तों के बावजूद, सीएसएल अधिसूचित रिक्तियों को न भरने का अधिकार भी रखता है। इसके अलावा, अधिसूचित रिक्तियों को भरना, रैंक सूची में उम्मीदवारों की उपयुक्तता, परियोजनाओं की उपलब्धता और नौकरी की आवश्यकताओं के अधीन होगा। यदि आवश्यक हो तो बिना किसी सूचना के या बिना कोई कारण बताए सीएसएल को भर्ती प्रक्रिया प्रतिबंधित करने/ बदलने/ रद्द करने/ संशोधित करने का अधिकार है।
- xv) चयनित उम्मीदवार को कार्यस्थल पर स्मार्ट फोन के उपयोग के संबंध में सीएसएल नीति का अनुपालन करने का वचन देना आवश्यक है।
- xvi) आवेदन जमा करना आवेदक द्वारा इस रिक्ति अधिसूचना के सभी नियमों और शर्तों के बिना शर्त स्वीकृति के रूप में माना जाएगा।
- xvii) इस चयन से संबंधित सभी दस्तावेजों को परिणाम के प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के लिए संरक्षित किया जाएगा।
- xviii) इस विज्ञापन से उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे या विवाद के संबंध में कोई कानूनी कार्यवाही और/ या उसके जवाब में एक आवेदन और उसके बाद चयन प्रक्रिया केवल एर्णाकुलम के न्यायालयों/ न्यायाधिकरणों/ फॉरम में संस्थापित किया जा सकता है और ऐसे न्यायालयों/ प्राधिकरणों के पास एकमात्र और अन्य अधिकार क्षेत्र होगा।
- xix) इस विज्ञापन में कोई संशोधन, सुधार या परिवर्धन केवल सीएसएल वेबसाइट में प्रकाशित किया जाएगा।



कोचीन शिप्यार्ड लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम

एक मिनिरल अनुसूची ए कंपनी,
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

xx) विज्ञापन और चयन के आयोजन से संबंधित किसी और आगे स्पष्टीकरण के लिए हमें कृपया
career@cochinshipyard.in ईमेल या लांड लैन नं 0484 - 250 1221 पर संपर्क करें।

“किसी प्रकार की मतार्थना अयोग्यता मानी जाएगी।”

“केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं।”

ह/-

महाप्रबंधक (मानव संसाधन व अध्ययन विकास)

